

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3

संख्या:- /X-3-2011-8(83)/2001 टी0सी0

देहरादून: दिनांक:-22 मार्च, 2011

अधिसूचना

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-22 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के जैव विविधता की सुरक्षा, जैविक संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण एवं विकास तथा उससे सम्बद्ध मामलों पर प्रदेश सरकार को सलाह देने के प्रयोजन हेतु "उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड" (Uttarakhand State Biodiversity Board) का पुनर्गठन करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन 'उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड' की पुनर्संरचना निम्नवत् किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0स0	पदनाम	संख्या	पुनर्गठित संरचना
1	अध्यक्ष	1	शासन द्वारा नामित
2	पदेन सदस्य	5	1-सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन। 2-प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड। 3-उप कुलपति, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पन्तनगर। 4-निदेशक, उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय परिषद, देहरादून 5-मुख्य वन संरक्षक स्तर का अधिकारी (प्रतिनिधित्व द्वारा)-सदस्य सचिव
3	विशेषज्ञ सदस्य (गैर सरकारी)	5	1-निदेशक, जी0बी0 पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कौसी कटारमल, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड। 2-निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड। 3-निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून। 4-संयुक्त निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। 5-राज्य सरकार द्वारा नामित किसी गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि।

2- इस सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड' के गठन सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1773/X-2-2006-8(83)/2001 दिनांक 01 अप्रैल, 2006 को तत्काल प्रभाव से समाप्त (Quash) किया जाता है।

3- इन गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक का होगा।

4- यह बोर्ड उक्त अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा।

क्रमश:-

(ध)

(2)

5-- उक्त बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने एवं बोर्ड के अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु बैठक फीस (Sitting Fee) के रूप में ₹ 3000 (₹ तीन हजार मात्र) का मानदंड अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त उनको यात्रा भत्ता शासकीय नियमों के अनुसार श्रेणी 'क' स्तर का अधिकारी मानते हुए अनुमन्य होगा।

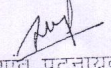
(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्या- 256 / X-3-2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3-- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 4-- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-- अध्यक्ष/समस्त सदस्यगण, 'उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड', देहरादून।
- 6-- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 7-- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियाँ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 8-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(सुशान्त पटनायक)
अपर सचिव